

राजस्थान सरकार

गोपालन विभाग

एफ.वी.4(6)निगो/प्लान/ब.घो/गो.वि.यो./अनु0/2022-23 / 11114

दिनांक : 13/02/2023

परिपत्र 2

गौ संरक्षण एवं संवर्द्धन निधि नियम, 2016 से सृजित निधि से राज्य के गौशालाओं में स्थायी आधारभूत परिसम्पतियों के निर्माण हेतु गौशाला विकास योजना अन्तर्गत जारी संशोधित परिपत्र 9293 दिनांक 06.09.2018 में निरीक्षण अधिकारी के क्रम में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

बिन्दु सं व उपबिन्दु सं.	पूर्व बिन्दु	संशोधित बिन्दु
6 के उपबिन्दु (xiii)	योजनान्तर्गत निर्माण करने वाली संबंधित कार्यकारी संस्था के सहायक/कनिष्ठ अभियंता एवं क्षेत्र के विकास अधिकारी द्वारा समय-समय पर गौशालाओं में किये जा रहें निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला गोपालन समिति को निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे तथा निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति निदेशालय गोपालन को प्रस्तुत की जावेगी।	योजनान्तर्गत निर्माण करने वाली संबंधित कार्यकारी संस्था के सहायक/कनिष्ठ अभियंता एवं क्षेत्र के विकास अधिकारी/ अधिवाशी अधिकारी/आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ तत्सम राजपत्रित अधिकारी द्वारा समय-समय पर गौशालाओं में किये जा रहें निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला गोपालन समिति को निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे तथा निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति निदेशालय गोपालन को प्रस्तुत की जावेगी।

उक्त संशोधन सक्षम स्तर द्वारा अनुमोदित है।

वरिष्ठ शासन उप सचिव
गोपालन विभाग


एफ.वी.4(6)निगो/प्लान/ब.घो/गो.वि.यो./अनु0/2022-23 / 11115 11320

दिनांक : 13/02/2023

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, गृह विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, सहकारिता एवं गोपालन, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, कृषि एवं पशुपालन विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
5. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री, गोपालन विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गोपालन विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
9. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
10. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
12. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर।
13. महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक, राजस्थान अजमेर।
14. समस्त सम्भागीय आयुक्त,
15. शासन उप सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान जयपुर।
16. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
17. निदेशक, गोपालन विभाग, राजस्थान जयपुर।
18. निदेशक, पशुपालन विभाग, राज. जयपुर।

19. समस्त जिला कलक्टरस,
20. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद,
21. समस्त सम्भागीय अतिरिक्त निदेशक क्षेत्र, पशुपालन विभाग,
22. समस्त जिला कोषाधिकारी,
23. समस्त जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग,
24. समस्त जिला उप निदेशक, कृषि विभाग,


वरिष्ठ शासन उप सचिव
गोपालन विभाग